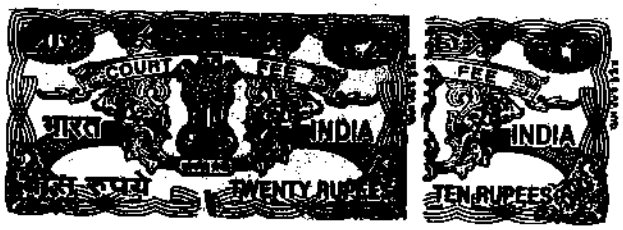

-1-

68

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

नि -2584 - I-16

किशोरसिंह तनय दमरू राजा
निवासी ग्राम बरेठी तह. राजनगर जिला छतरपुर ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. छुट्टन राजा बेवा संतोषसिंह
   निवासी पवई तह. व जिला पन्ना
2. सुनीता पत्नि गोविंदसिंह
   निवासी ग्राम लटेगांव तह. व जिला सतना
3. अनीतासिंह पत्नि राजेन्द्रसिंह
   निवासी ग्राम बराछ तह. व जिला पन्ना ......अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 3-8-16 को प्रस्तुत
3-8-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 106/अपील/14–15 पारित आदेश दिनांक 28/6/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बरेठी स्थित भूमि खसरा क्र 75/4, 96/2, 129/2, 130/2, 354, 357/2, 84, 88, व 770 कुल भूमि अन्य सहखातेदारों सहित श्यामराजा पत्नि कल्याणसिंह के नाम पर भूमिस्वामी स्वामित्व में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। श्यामराजा द्वारा अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में नोटरी के समक्ष एक वसीयतनामा दिनांक 9/9/11 आवेदक जो कि रिश्ते में उसका सगा देवर है के पक्ष में निष्पादित किया गया था तथा श्यामराजा के स्वर्गवास उपरांत आवेदक द्वारा उक्त वसीयतनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर नामांतरण हेतु एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार बसारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक को पर्याप्त साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना निरस्त कर दिया गया जिसकी अपील आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा

(निलेन्द्र सिंघई एड. 94251-71223 9009209222)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2587/5/16 **जिला** छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-8-16	1– आवेदक के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंघई उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 के प्र.क्र. 106/अपील/वर्ष 14–15 में पारित आदेश दिनांक 28/6/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक के तर्क में कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि मृतक खातेदार श्यामराजा के नाम पर दर्ज उसके हक व स्वामित्व की भूमि थी एंव मृतक खातेदार श्यामराजा द्वारा अपने जीवनकाल में राजीखुशी से एक वसीयतनामा दिनांक 9/9/11 प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदक के पक्ष में निष्पादित किया गया था। श्यामराजा के स्वर्गवास उपरांत आवेदक द्वारा वसीयतनामा के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर नाम दर्ज किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। परंतु विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के साक्षियों की सूपर्ण साक्ष्य अंकित किए बिना आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया जिसकी अपील आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी व्यायख्या के अपना आदेश पारित किया है इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक का तर्क है कि वसीयतकर्ता श्यामराजा एक पढी लिखी महिला पेशे से अध्यापक थी तथा उसके द्वारा पूर्ण होशावास में पढ समझ कर गवाहों के समक्ष आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया था। तथा वसीयत के गवाहों द्वारा वसीयत के समर्थन में विचारण न्यायालय के समक्ष शपथपत्र भी प्रस्तुत किए थे, परंतु विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को साक्ष्य का पर्याप्त अवसर प्रदाय किए बिना अपना आदेश पारित किया है। उनके द्वारा तर्क में यह भी कहा गया कि वसीयतकर्ता की सेवाखुशामद उनके अंतिम दिनों में आवेदक द्वारा की गयी थी एंव दिन तेरवहीं भी आवेदक द्वारा ही की गयी थी।	

निग. 2587-I/16 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
	4– आवेदक की ओर से तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि वसीयतकर्ता की भूमि थी तथा उसको भूमि का अंतरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपना आदेश बिना किसी विवेचना व दस्तावेजों का आवलोकन किए बिना पारित किया है तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश एक बोलता हुआ आदेश नहीं है। उपरोक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है। 5– आवेदक के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि मृतक श्यामराजा की भूमिस्वामी हक की भूमि है जिसको उसको अंतरण करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त था। मृतक श्यामराजा द्वारा अपने जीवनकाल में आवेदक के पक्ष में दिनांक 9/9/11 को वसीयतनामा निष्पादित किया गया था जिसको वसीयतनामा के साक्षियों द्वारा अपने शपथ पर कथन द्वारा प्रमाणित किया गया है। वसीयतकर्ता स्वंय एक अध्यापक थी जिससे आवेदक के इस तथ्य को बल मिलता है कि वसीयतकर्ता द्वारा पढ समक्ष कर पूर्ण होश हवास में वसीयतनामा आवेदक के पक्ष निष्पादित किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपना आदेश पूर्ण विवेचना एंव दस्तावेजों का परीक्षण किये बिना पारित किया है तथा उनका आदेश एक बोलता हुआ आदेश नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा भी आवेदक के साक्षियों का प्रतिपरीक्षण का पर्याप्त अवसर प्रदाय दिए बिना अपना आदेश पारित किया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश मैं स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। 6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है अनुविभागीय अधिकारी राजनगर का आदेश दिनांक 28/6/16 एंव नायब तहसीलदार बसारी का आदेश दिनांक 31/8/15 निरस्त किए जाते है परिणामतः प्रश्नाधीन भूमि पर वसीयतनामा के आधार पर आवेदक का नाम दर्ज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (signature) सदस्य	